

न्यायालय-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क0-1078 / 2012

संस्थित दिनांक-31.12.2012

F.N.-234503001842012

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

!! विरुद्ध !!

शरद नामदेव पिता राजू नामदेव, उम्र-24 वर्ष,
निवासी-छिंदीटोला वार्ड नंबर-03 बैहर थाना बैहर
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....आरोपी

!! निर्णय !!

(आज दिनांक 25/04/2018 को घोषित किया गया)

01. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 20.09.2012 को समय 19:30 बजे स्थान तन्नौर नदी पुल के पास बैहर थाना बैहर अंतर्गत वन विभाग परिक्षेत्र के आधिपत्य से ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50/ए.3395 एवं ट्राली क्रमांक एम. पी.50/ए.3396 में अवैध रूप से रेत भरकर वन विभाग की बिना सहमति के बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी करने तथा उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन से अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र से रेत उत्खनन कर वन उपज को नुकसान पहुँचाने, इस प्रकार धारा-379 भा.दं.वि. एवं धारा-26(च) वन अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 20.09.2012 को थाना बैहर में पदस्थ प्रधान आरक्षक रामभजन साहू हमराह स्टाफ के साथ कस्बा भ्रमण पर गये हुए थे, तभी सूचना प्राप्त हुई कि

तन्नौर नदी पुल के पास ट्रैक्टर चालक अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहा है, तब फरियादी रामभजन मौके पर स्टाफ के साथ गये और ट्रैक्टर चालक शरद नामदेव को रेत के संबंध में पूछताछ किया, किन्तु आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही रेत परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसके पश्चात घटनास्थल पर साक्षियों के समक्ष आरोपी से वाहन ट्रैक्टर एम.पी.50ए. 3395 एवं ट्राली एम.पी.50ए.3396 मय 200 घमेली रेत जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौके पर अपराध क्रमांक 0/12 धारा 379 भा.द.वि. एवं धारा-26 भारतीय वन अधिनियम पंजीबद्ध किया गया, जिसे थाना बैहर के अपराध क्रमांक 137/12 अंतर्गत धारा 379 भा.द. वि. एवं धारा-26 भारतीय वन अधिनियमका पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.09.2012 को समय 19:30 बजे स्थान तन्नौर नदी पुल के पास बैहर थाना बैहर अंतर्गत वन विभाग परिक्षेत्र के आधिपत्य से ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50/ए.3395 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी. 50/ए.3396 में अवैध रूप से रेत भरकर वन विभाग की बिना सहमति के बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन से अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र से रेत उत्खनन कर वन उपज को नुकसान पहुँचाया ?

:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02**

06. रामभजन साहू अ.सा.6 ने बताया है कि दिनांक 20.09.2012 को वह हमराह स्टाफ आरक्षक 1250 रोहित के साथ कस्बा भ्रमण करने गया हुआ था। भ्रमण के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि तन्नौर नदी पुल के पास ट्रेक्टर चालक रेत खोदकर ले जाने वाला है। उक्त सूचना पर वह तन्नौर नदी गया था, जहाँ से ट्रेक्टर में रेत भरकर चालक ले जा रहा था। पूछताछ पर चालक ने अपना नाम शरद नामदेव बताया और तन्नौर नदी से रेत भरने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, तब उसने घटनास्थल पर आरोपी से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/ए.3395 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50/ए.3396 एवं उसमें भरे हुए 200 घमेली रेत, 02 नग फावड़ा, 02 नग प्लास्टिक घमेली गवाह करण तथा महिपाल के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था।

07. जप्ती के साक्षी करण कावरे अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी शरद नामदेव को जानता है। घटना तीन वर्ष पूर्व बैहर के तन्नौर नदी के पास की है। पुलिस ने आरोपी शरद से ट्रेक्टर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था। उसने पुलिस को ट्रेक्टर में रेत भरकर ले जाने वाली बात बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि शरद नामदेव से कोई ट्रेक्टर जप्त नहीं किया गया है। यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर पुलिस थाना में अंगूठा निशान लगाया था। यह भी स्वीकार किया है कि उसने रेत भरने का स्थान नहीं बताया था। यह भी स्वीकार किया है कि उसने ट्रेक्टर एवं ट्राली का नंबर नहीं बताया था। यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने शरद नामदेव से रेत भरवाने के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। यह भी स्वीकार किया है कि ट्राली में कोई रेत भी नहीं थी। इस प्रकार जप्ती के इस महत्वपूर्ण साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

08. महिपाल अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 20.09.2012 को शाम 5:30 बजे तन्नौर नदी की है। वह यह भी नहीं बता सकता कि आरोपी ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर में रेत भर रहा था। उसे यह भी याद नहीं है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50/ए.3395 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50/ए.3396 एवं 200 घमेली रेत जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था। वह यह भी नहीं बता सकता कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरक्षक रामभजन ने थाना बैहर में उसे जप्ती पत्रक प्रपी-01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-02 पर हस्ताक्षर करने कहा, तब उसने हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार जप्ती के दूसरे महत्वपूर्ण साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

09. रोहित बेंजामिन अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी शरद को नहीं जानता। उसे इस बात का ध्यान नहीं है कि पुलिस ने आरोपी से क्या जप्त किया था। पक्षद्रोही घोषित कराये जाने पर बताया है कि दिनांक 20.09.2012 को कस्बा भ्रमण के दौरान ट्रैक्टर चालक राजू नामदेव तन्नौर नदी के पास अवैध रूप से रेत चोरी कर रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी शरद नामदेव ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50/ए.3395 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50/ए.3396 में रेत भर रहा था, जिसे आरोपी शरद से जप्त किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रेत कहा से खोदी गयी, उसने नहीं देखा था। यह भी स्वीकार किया है कि उसने ट्रैक्टर की ट्राली नहीं देखा था, ट्राली में क्या रखा था, वह नहीं बता सकता। यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके सामने नहीं हुयी थी। उसने पुलिस को अपने कथन प्रडी-01 में ट्रैक्टर व ट्राली का नंबर नहीं बताया था। इस प्रकार साक्षी ने पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर जप्ती का समर्थन किया है, किन्तु

प्रतिपरीक्षण में पुनः जप्ती के तथ्यों से इंकार किया है तथा अपने सामने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं होना बताया है। न्यायदृष्टांत. सूर्यकांत विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी., 2005(3) एम.पी.एल.जे.99 मध्यप्रदेश में यह अवधारित किया गया है यदि साक्षी समान समय पर विरोधात्मक परिसाक्ष्य देता है तो उसके साक्ष्य पर निर्भरता व्यक्त नहीं की जा सकती। जिससे भी साक्षी रोहित बेंजामिन का कथन विश्वास योग्य नहीं है।

10. शांतिबाई अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है, किन्तु उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 20.09.2012 को शाम 5:30 बजे वह और गांव की मंडलबाई तथा करण कावरे आरोपी शरद नामदेव के ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 50/ए.3395 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50/ए.3396 में रेत भर रहे थे। इससे भी इंकार किया है कि पुलिस ने उनके समक्ष आरोपी से 200 घमेली रेत जप्त किया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.05 का कथन देने से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11. जोगेश्वरी अ.सा.07 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 20.09.2012 को शाम 5:30 बजे वह और गांव की मंडलबाई तथा करण कावरे आरोपी शरद नामदेव के ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 50/ए.3395 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50/ए.3396 में रेत भर रहे थे। इससे भी इंकार किया है कि पुलिस ने उनके समक्ष आरोपी से 200 घमेली रेत जप्त किया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.09 का कथन देने से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

12. रामभजन अ.सा.06 ने बताया है कि दिनांक 20.09.2012 को उसने गवाह करण एवं महिपाल के समक्ष आरोपी शरद नामदेव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था। उक्त दिनांक को साक्षी करण के समक्ष नक्शा मौका प्र.पी.03 तैयार किया था। घटनास्थल पर ही अपराध क्रमांक 0/12 धारा 379 भा.द.वि. एवं 26(च) वन अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया था, जिसे मूल अपराध क्रमांक 137/12 प्र.पी.07 में पंजीबद्ध किया था। विवेचना के दौरान गवाह महिपाल, करण कावरे, आरक्षक रोहित, हेडलबाई, शांतिबाई और शेख इस्लामुद्दीन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 27.09.2012 को वाहन मालिक शेख इस्लामुद्दीन से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन, बीमा व ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि जप्तशुदा ट्रेक्टर ट्राली में कोई रेत नहीं भरी थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था। इससे भी इंकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही थाने में बैठकर की है।

13. साक्षी जे.एल. वाघाड़े अ.सा.08 ने बताया है कि थाना बैहर के अपराध क्रमांक 137/12 धारा-379 भा.द.वि. एवं धारा 26 वन अधिनियम की विवेचना के दौरान उसने साक्षी टी.एस. मेरावी एवं साक्षी करनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। साक्षी टी.एस. मेरावी अ.सा. 05 ने बताया है कि दिनांक 28.09.12 को उसने कक्ष क्रमांक 1550 तन्नौर नदी का नक्शा प्रपी-06 करनसिंह की निशादेही पर तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि नक्शा उसने कार्यालय में बैठकर तैयार किया था किन्तु नक्शा के साक्षी करनसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसके समक्ष कोई मौका नक्शा तैयार नहीं किया गया है।

न्यायदृष्टांत मनोज शुक्ल बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी.,

2004 (5) एम.पी.एच.टी.179 में अवधारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी का साक्ष्य इस आधार पर त्यक्त नहीं की जा सकती की वह पुलिस अधिकारी है, यदि स्वतंत्र साक्ष्य से पुलिस अधिकारी का साक्ष्य समर्थित है, तो

इस आधार भी दोषसिद्ध की जा सकती है, किन्तु इस प्रकरण में जप्ती के दोनों स्वतंत्र साक्षी करन कावरे अ.सा.02 तथा महिपालसिंह अ.सा.04 पूर्णतः पक्षद्रोही है। आरोपी से रेत से भरे ट्रेक्टर एवं ट्राली जप्त किये जाने की घटना से इंकार किया है। साक्षी रोहित बेंजामिन अ.सा.01 का कथन भी विश्वास योग्य नहीं पाया गया है। घटना के साक्षी शांतिबाई अ.सा.03 तथा जोगेश्वरी अ.सा.07 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षियों ने पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है। जप्ती के साक्षी करन कावरे अ.सा.02 तथा महिपालसिंह अ.सा.04 ने जप्ती पत्रक प्रपी-01 पर थाना बैहर में हस्ताक्षर करना बताया है। जिससे मौके पर जप्ती का तर्क संदेहास्पद हो जाता है एवं उक्त परिस्थितियों में एकमात्र पुलिस साक्षी का साक्ष्य भी संदिग्ध हो जाता है।

न्यायदृष्टांत रितेश चक्रवर्ती बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी., 2002 (1) जे.एल.जे. 220 में अवधारित किया गया है कि न्यायालय को इस बात का सतर्कता रखना चाहिये कि भ्रामक संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध न किया जावे। फलतः उक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है एवं जहां संदेह हो, वहां संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिये।

14:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 20.09.2012 को समय 19:30 बजे स्थान तन्नौर नदी पुल के पास बैहर थाना बैहर अंतर्गत वन विभाग परिक्षेत्र के आधिपत्य से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50/ए.3395 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.50/ए.3396 में अवैध रूप से रेत भरकर वन विभाग की बिना सहमति के बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया तथा उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन से अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र से रेत उत्खनन कर वन उपज को नुकसान पहुंचाया। फलतः आरोपी को धारा 379 भा.दं.वि. एवं धारा 26(च) वन अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

15:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

16:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि दिनांक 21.09.12 से दिनांक 26.09.12 तक है।

17:— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति ट्रेक्टर एम.पी.50ए.3395 एवं ट्राली एम.पी.50ए.3396 आवेदक सुपुर्ददार शेख इस्लामुद्दीन पिता शेख जमालु उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं.07, कंपाउंडर टोला बैहर की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दनामा अवधि पश्चात् अपील न होने पर सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)